कार्यालय– निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर
Email- shgcell.we@rajasthan.gov.in
दूरभाष 0141–2716421

क्रमांक– एफ19/()निमअ/Back to work/2021–22/45259 जयपुर, दिनांकः– 10-01-2023

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राज0, जयपुर

विषयः– सी.एस.आर. के तहत जागृति बैक टू वर्क योजनान्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग की जागृति बैक टू वर्क योजनान्तर्गत सी.एस.आर. के तहत कार्य करने हेतु संस्था का चयन किया जाना है। इस हेतु संलग्न विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय दो मुख्य समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में न्यूनतम आकार में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– विज्ञप्ति।

(डॉ. अजय कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक, (SHG)
महिला अधिकारिता

राजस्थानसरकार
निदेशालय महिलाअधिकारिता
जे–7, झालानासंस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

कमांक एफ 19/( )निमअ/Back to work/2021–22/45258 जयपुर, दिनांकः- 10/01/2023

विज्ञप्ति

जागृति बैक टू वर्क योजनान्तर्गत कुशल, प्रोफैशनल एवं अनुभवी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु जॉब प्रदाताओं व महिलाओं के बीच समन्वय करने वाली संस्था की आवश्यकता है।

संस्था के चयन के लिये पात्रताः–

1. संस्था जो किसी एस.आर. गतिविधि के तहत विभाग के साथ जुड़कर महिलाओं को रोजगार, स्किलिंग–अपस्किलिंग से जोड़ने की इच्छुक हो।
2. संस्था जिसको ऑन लाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, स्किलिंग–अपस्किलिंग का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।
3. संस्था जो ट्रस्ट/गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत हो।

अतः ऐसी संस्था जो कि उपरोक्त पात्रताओं की पूर्ति करती हो एवं विभाग के साथ जुड़कर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की इच्छुक हो वे दिनांक 23.01.2023 तक कार्यालय समय में निदेशालय महिला अधिकारिता, जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में अपनी सहमति निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकती है।प्रारूप विभागीय वैब साईट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।उक्त कार्य ऑन लाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी। विभाग द्वारा योजना के तहत किये गये कार्यो के लिये संस्था को कोई भुगतान नही किया जायेगा।

(पुष्पा सत्यानी)
आयुक्त
महिला अधिकारिता